अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 2 अप्रैल, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए फरवरी, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **फरवरी, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

(प्रदीप भटनागर)
निदेशक (पी0 एण्ड सी0)
दूरभाष नं0 23382525

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रीपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. माननीय उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

फरवरी, 2019 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

1. एन.सी. सी.एफ.:

   - विभाग ने विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.05.2018 के आदेश जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने ए.सी.सी. के दिनांक 09/05/2018 के आदेश जिसमें श्री अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग (डी.ओ.सी.ए.) को प्रबन्ध निदेशक एन.सी.सी.एफ. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, को स्थगित करने के विरूद्ध, अधिकार- लेखा अपील (एल.पी.ए.) दायर की थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन तथा माननीय न्यायाधीश श्री बी. कामेश्वर राव वाली खंड-पीठ ने दिनांक 29.01.2019 के अपने आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था।

   - विभाग ने श्री अनिल बहुगुणा को 01/02/2019 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रबन्ध निदेशक एन.सी.सी.एफ. के पद के अतिरिक्त प्रभार की सुपुर्दगी के लिए ए.सी.सी. को एक प्रस्ताव भेजा था। ए.सी.सी. ने दिनांक 18.02.2019 के आदेश द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तदनुसार, श्री अनिल बहुगुणा, संयुक्त- सचिव उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 को प्रबन्ध निदेशक एन.सी.सी.एफ. का कार्यभार ग्रहण किया। इसकी सूचना एन.सी.सी.एफ. के निदेशक मंडल सभी शाखा प्रबंध को संबंधित बैंकों को एन.सी.सी.एफ. के दिनांक 27.02.2018 के परिपत्र द्वारा भेज दी गई है।

   - इससे पूर्व, सचिव (उपभोक्ता मामले) ने दिनांक 21.12.2018 को सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी किये जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि वर्तमान में एन.सी.सी.एफ. सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कर रहा है और इस प्रकार राज्य, एन.सी.सी.एफ. के साथ व्यापार करते समय पूर्ण रूप से एहतियात बरतें।

   - प्रतिपक्षों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक समादेश रिट याचिका दायर की जिसमें सरकार के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था जिसके द्वारा संयुक्त-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रबन्ध-निदेशक, एन.सी.सी.एफ. के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खण्ड-पीठ के दिनांक 29.01.2019 द्वारा पारित किए आदेश को ध्यान में रखते हुए विद्वान एकल-न्यायाधीश ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।

   - एकल न्यायाधीश के आदेश जिसके द्वारा उन्होंने एन.सी.सी.एफ. उप-नियमों में किए गए संशोधनों को प्रभावी न करने के लिए एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 122 के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश को स्थगित कर दिया है, के विरूद्ध एक अधिकार- लेख अपील (एल.पी.ए.) भी

दायर की गई है। एकल न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध तीसरी अधिकार लेख अपील (एल.पी.ए.) दायर की गई थी जिसके द्वारा उन्होंने एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 123 के तहत सरकार द्वारा पारित किए गए उस आदेश स्थगित किया जिसके द्वारा एन.सी.सी.एफ. के बोर्ड को अधिक्रमित किया गया है। आशा की जाती है कि दायर की गई एल.पी.ए. पर सुनवाई शीघ्रतिशीघ्र होगी जबकि एन.सी.सी.एफ. मामले पर सुनवाई एकल पीठ के समक्ष दिनांक 18 मार्च, 2019 के लिए नियत की गई है। वर्तमान में एन.सी.सी.एफ. में अधिकांश शेयरधारिता सरकार की है।

2 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018:

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, **2018** लोक सभा द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य सभा के विचारार्थ सत्र के अंतिम दिन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन राज्य सभा द्वारा पूरी चर्चा न होने के कारण पारित नहीं किया जा सका।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.):

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा-25 के तहत नीति सम्बन्धी एक निर्देश महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो को बी.आई.एस. (वैज्ञानिक – संवर्ग की भर्ती) विनियमनों को अंतिम रूप देने तथा अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जारी किया गया था। पूर्व विनियमनों (साक्षात्कार के लिए 50% अंकों को महत्व देने) के मुकाबले साक्षात्कार को कम-महत्व देने (15% की सरकार की नीति के अनुसार 100 अतिरिक्त रिक्तियों पर वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए नए विनियमों की आवश्यकता है। बी.आई.एस. को विनियमन अभी अधिसूचित करने हैं। इस मामले पर आगे की कार्रवाई करने के लिए विधायी विभाग के साथ चर्चा की जा रही है।

4. दालों का निपटान:

- 28 फरवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार, अधिप्राप्त/आयातित 20.50 लाख टन में से 19.09 लाख मीट्रिक टन के निपटान के उपरांत 1.41 लाख मीट्रिक टन दालों का बफर-स्टॉक उपलब्ध है।
- रक्षा मंत्रालय ने नेफेड के माध्यम से पी.एस.एफ. बफर-स्टॉक में से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय सेना हेतु दालों की वार्षिक मात्रा के अधिप्रापण के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी है।

5. विधिक माप-विज्ञान (एल.एम.):

- विधिक माप-विज्ञान के क्षेत्रों में अर्थात् निर्यात के प्रयोजनार्थ विनिर्मित किए जा रहे बाटों एवं माप-उपकरणों के प्रमाणन: भारतीय मानक- समय का सही- समय प्रसार, विधिक माप- विज्ञान अधिकारियों आदि के क्षमता –निर्माण में आपसी-सहयोग पर चर्चा करने के लिए, अध्यक्ष नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ स्टेंडडर्स एंड टेक्नोलॉजी, यू.एस.ए., पी.टी. बी. जर्मनी के प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय) और एन.पी.एल. यू. के के प्रतिनिधि के साथ बैठके आयोजित की गई थीं।
- कार्यकलापों की समीक्षा हेतु सचिव (उपभोक्ता मामले) ने राज्य विधिक माप-विज्ञान नियंत्रकों के साथ बैठक की।

6. उपभोक्ता शिकायतें:

वर्ष 2016-17 में 15,000 प्रतिमाह की तुलना में फरवरी**, 2019** माह में 53,000 रिकार्ड- शिकायतें दर्ज हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन.सी.एच.) के कन्वर्जेंस में कुल 500 कम्पनियों को शामिल किया गया है।

7. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव के आधार पर, पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, इन्सेक्टि साइड्स, फंगीसाइड्स, वीडीसाइड्स और ऐसे कीटनाशकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में पुन: शामिल करने के संबंध में एक सी.ओ.एस. नोट तैयार किया गया था तथा इस पर चर्चा करने के लिए सी.ओ.एस. की बैठक, दिनांक 21.02.2019 को आयोजित की गई थी, सी.ओ.एस. इन मदों को आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची में शामिल न करने का निर्णय लिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों में अनुज्ञप्तियों के वार्षिक/आवधिक नवीनीकरण को समाप्त करने सम्बन्धी मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप नोट संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।

8. **मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	**सूचकांक**	**मुद्रास्फीति दर (%)**		
		जनवरी, 2019 (अनन्तिम)	**दिसम्बर, 2018 (अनन्तिम)**	**जनवरी, 2018 (अंतिम)**
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	2.76	3.80	3.02
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	2.34	-0.07	3.15
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	6.60	5.24	5.11
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	2.05	2.11	5.07
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)**	-2.17	-2.65	4.70

*:- 2012=100 #: नया बेस आधार 2011-12=100

9. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के संबंध में जनवरी, 2019 माह की तुलना में फरवरी, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले दो माह की तुलना में रूझान

राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और जनवरी, 2019 माह की तुलना में फरवरी, 2019 माह के लिए मूल्यों का रूझान नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रूपए/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	फरवरी, 2019 (अंतिम)	जनवरी, 2019 (विगत) माह	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	30	30	0
2	गेहूं	26	26	0
3	आटा	28	27	1
4	चना दाल	67	66	1
5	तूर दाल	75	73	2
6	उड़द दाल	72	72	0
7	मूंग दाल	77	76	1
8	मसूर दाल	63	62	1
9	चीनी	38	38	0
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	127	126	1
12	सरसों का तेल	109	108	1
13	वनस्पति	81	81	0
14	सोया तेल	92	91	1
15	सूरजमुखी का तेल	98	98	0
16	पॉम ऑयल	76	76	0
17	गुड़	42	42	0
18	चाय खुली	208	208	0
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	16	17	-1
21	प्याज़	17	18	-1
22	टमाटर	20	23	-3

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. लम्बे अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं-

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :

ई-समीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5 . ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाईलों की कुल संख्या	ई-फाईलों की कुल संख्या
215	**186**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

फरवरी, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	फरवरी, 2019 माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
730	**258**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

फरवरी, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**फरवरी, 2019 माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या**
53218	**45701**

8. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाईन

तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। क्योंकि कीमतों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, दिन-प्रति-दिन के कार्यालय कार्यों को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।

****